Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2022 GISRRJ | Volume 5 | Issue 3 | ISSN : 2582-0095

श्रवण बाधित बालकों एवं बालिकाओं को अभिभावकों एवं समाज की सहयोगिता : एक अध्ययन

वन्दना मिश्रा
शोधार्थिनी
विशेष शिक्षा विभाग
नेहरू ग्राम भारती (मानित) विश्वविद्यालय
कोटवा–जमुनीपुर–दुबावल, प्रयागराज–221505
(उ0प्र0)

डा0 दीपक कुमार त्रिपाठी
असिस्टेण्ट प्रोफेसर
विशेष शिक्षा विभाग
नेहरू ग्राम भारती (मानित) विश्वविद्यालय
कोटवा–जमुनीपुर–दुबावल, प्रयागराज–221505
(उ0प्र0)

Article Info
Volume 5, Issue 3
Page Number : 47-53

Publication Issue :
May-June-2022

Article History
Accepted : 05 May 2022
Published : 30 May 2022

सार

खोये हुए आत्मविश्वास, प्रत्याहरण स्वभाव, हीनभावना से ग्रसित इसी प्रकार के नकारात्मक मनोवैज्ञानिक गुणों से भरा हुआ एक निःशक्त बालक (विशिष्ट बालक) जिसके मन में द्वन्द चलता रहता है कि मैं अन्य से अलग क्यों हूँ, और वह इसी उधेड़–बुन में फंसा रहता है, इस तरह वो दूसरों से ही नहीं बल्कि अपनों से ही दूर होता जाता है। अपनों से तात्पर्य उनके माता–पिता, अभिभावक, भाई–बहन आदि से है। धीरे–धीरे इनका प्रभाव न ही उसके कार्य–व्यवहार पर पड़ता है बल्कि उसके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर पड़ता है। यह नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव उनके प्रगति एवं विकासशीलता को पूरी तरह से बाधित कर देता है। जिसका मुख्य प्रभाव दिव्यांग बालकों की शिक्षा पर भी पड़ता है, जिससे वो समाज की मुख्य धारा से अलग हो जाते हैं। परन्तु हमें इस पर विचार करते हुए तथा ऐसे बच्चों को पारिवारिक, विद्यालयी एवे सामाजिक वातावरण देते हुए उनकी शिक्षा व्यवस्था तथा अन्य सुविधाएँ और रियायतें देते हुए, उन्हें इस काबिल

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

बनाना है जिससे वो समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें और अन्य बालकों की तरह अपने जीवन के लक्ष्यों का निर्धारण कर सकें।

शब्द संक्षेप : बालक, विशिष्ट बालक, श्रवण बाधित बालक, अभिभावक, समाज, सहयोग।

प्रस्तावना

अखिल भारतीय जिला अधिकारी सम्मेलन में श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने कहा था– ''मैं बच्चों को समाज का उत्पादन सदस्य बनाने में विश्वास रखती हूँ, बच्चे चाहे कोई भी हों।'' इस दृष्टि से विशिष्ट बालकों के लिये यह विचार और भी अधिक महत्व रखता है। शिक्षा का उद्देश्य बालकों को उसकी क्षमता के अनुरूप अधिक समाजोपयोगी बनाना है। प्रजातांत्रिक देशों में शिक्षा किसी व्यक्ति का विशेषाधिकार नहीं है, अपितु सभी व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जिसमें संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 21क जोड़कर शिक्षा को मौखिक अधिकार बना दिया गया है। इनके द्वारा राज्य को यह कर्त्तव्य दिया गया कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। शिक्षा अधिकार विधेयक को संसद ने 4 अगस्त 2009 को मंजूरी प्रदान की तथा 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ। यहाँ अनिवार्य शिक्षा से तात्पर्य 6 से 14 वर्ष आयु समूह के प्रत्येक बच्चों को शिक्षा प्रान करना और अनिवार्य प्रवेश उपस्थिति से हैं तथा निःशुल्क का तात्पर्य – कोई भी बच्चा प्रारंभिक शिक्षा को जारी रखने और पूरा करने से रोकने वाली फीस या अन्य कोई भी कर अदा करने का उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा इस अनु0 में माता–पिता, अभिभावकों का बालकों के प्रति कर्त्तव्य भी बताया गया है। इसी प्रकार अनु0 45 में भी राज्य के द्वारा बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को विषय में उपलब्ध है। इसके अलावा 46वें अनु0 में कमजोर वर्गों हेतु विशेष रूप से शिक्षा का प्रावधान है। असके अनुपाल के लिए भारत सरकार ने सन् 2003 से 'सर्व शिक्षा अभियान प्रारम्भ किया है। इस कार्यक्रम में गोवा को छोड़कर समस्त देश सम्मिलित है। यहाँ सभी बालकों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात नहीं पायी है। सभी बालकों से तात्पर्य सामान्य वं विशिष्ट बालक से है।

हमारा यह दायित्व है कि सामान्य बालकों की भाँति ही प्रत्येक विशिष्ट बालकों को उनकी क्षमता एवं अकांक्षा के अनुरूप शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे उनमें आत्मग्लानि, नैराश्य, हीनभावना

और अकर्मण्यता के स्थान पर आत्मविश्वास, आशा और कर्मक्रता के साथ–साथ अपनी दिव्यांगता अशक्तता स्थिति में भी जीवन जीन के प्रति एक आकर्षण उत्पन्न हो एवं दिव्यांग की दृष्टि में एक स्वावलम्बन का आकार स्पष्ट हो।

यहाँ विशिष्ट बालक जानने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि सामान्य बालक किसे कहते हैं। विद्यालय में हर समाज, हर वर्ग तथा भिन्न–भिन्न परिवारों से बालक आते हैं ये सभी विभिन्न होते हुए भी सामान्य कहलाते हैं परन्तु कुछ ऐसे भी होते हैं जो शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक, आर्थिक तथा सामाजिक गुणों की दृष्टि से अन्य बालकों से भिन्न होते हैं। सामान्य बालक–ऐसे बालक होते हैं जिनका शारीरिक स्वास्थ्य एवं संरचना इस प्रकार होता है कि उन्हें किसी सामान्य कार्य को करने में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होता है, जिनकी बुद्धि लब्धि औसत (90 से 110) के बीच होती है। ऐसे बालकों की शैक्षिक उपलब्धि कक्षा के ने अधिकांश बालकों के समान होते हैं। जबकि एक विशिष्ट बालक उन्हें कहते हैं जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक वं संवेगात्मक एव रूप से पिछड़े होते हैं जिससे उनके सामान्य बुद्धि एवं पूर्णरूप से विकास पर प्रभाव पड़ता है और वह कक्षा कार्य में लाभान्वित नहीं हो पाता तथा जिसे विद्यालय एवं घर में विशेष देखरेख की आवश्यकता होती है। वह शैक्षिक रूप से पिछड़ जाता है। और पी.डब्ल्यू.डी एक्ट 1995 में बना था जिसका कार्य विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, प्रशिक्षण, आरक्षण, अनुसंधान तथा देश की भागीदारी की वकालत की गयी है अर्थात दिव्यांग लोगों के समान अवसर एवं राष्ट्र निर्माण में उनकी पूर्ण भागीदारी की बात नहीं की गई है। इस अधिनियम के अन्तर्गत मुख्यतः 7 प्रकार की निःशक्तता का वर्णन किया गया है – अल्पदृष्टि, दृष्टिहीनता, मंदबुद्धि, मानसिक बीमारी, श्रवणक्षति, गत्यात्मक निःशक्तता, और कुष्ठ रोग मुक्त।

परन्तु आर.पी.डब्ल्यू.डी. एक्ट (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम) 2016 में दिव्यांगता एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित करते हुए इसे मौजूदा 7 प्रकार से बढ़ाकर 21 प्रकार का कर दिया गया है जिसमें– मानसिक भेदता, ऑटिजम, सेरेब्रेल पाल्सी, मानसिक रोगी, श्रवण बाधित, मूक निःशक्तता, दृष्टि बाधित, अल्पदृष्टि, चलन निःशक्तता, कुष्ठ रोगी से युक्त, बौनापन, तेजाब हमला पीड़ित, मांसपेशी दुर्विकास, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, बौद्धिक निःशक्तता, मल्टीपल स्कलेरोसिक, पार्किंसंस रोग, हीमोफिलिया, थैलेसीमिया, स्किल सैल डिजीज, बहुनिःशक्तता।

इन्ही 21 प्रकार की दिव्यांगताओं में एक प्रकार की दिव्यांगता के श्रवण बाधिता आती है। जब

कोई बालक सामान्य ध्वनि को सुनने में असमर्थ हो जाता है तो उसे अक्षम कहा जाता है तथा इस अवस्था को श्रवण बालिधता कहा जाता है। भारत में इस प्रकार की समस्या से ग्रसित हर आयु के लोग पाये जाते हैं। इसका सबसे मुख्यकारण ध्वनि प्रदूषण एवं अनेकों प्रकार की बीमारियाँ है।

आर.सी.आई (भारतीय पुनर्वास परिषद) के अनुसार जब बधिरता 70 डेसिबल हो, तो व्यावसायिक तथा जब 55 डसिबल तक हो, तो उसे शिक्षा के लिए प्रयो में लेना चाहिए। योजना आयोग एवं विकलांग जन अधिनियम (1995) के अनुसार वह व्यक्ति श्रवण बाधित कहा जायेगा, जो 60 डेसिबल या उससे अधिक डेसिबल पर सुनने की क्षमता रखता हो। समाज कल्याण के अनुसार – ''जब किसी व्यक्ति के एक कान में 60 डेसिबल श्रवण क्षतिग्रस्तता हो तथा दूसरा कान अच्छा हो तो वह उच्च शिक्षा के लिए उपयोगी हो सकता है।

श्रवण दोष सुनने की आंशिक या पूर्ण अक्षमता हैं यह एक विकलांगता है जो बधिर और सुनने में कठिन दो श्रेणियों में उप–विभाजित है। ''बधिर'' का अर्थ है दोनों कानों में भाषण आवृत्तियों में में 70 डेसिबल सुनवाई हानि वाले व्यक्ति। ''सुनने में कठिन'' का अर्थ है, दोनों कानों में बोलने की आवृत्ति में 60 डेसिबल से 70 डेसिबल की सुनवाई हानि वाले व्यक्ति। श्रवण कान के माध्यम से ध्वनियों को समझने की क्षमता है। कुछ लोग किसी ध्वनि को सुनने में सक्षम नहीं होते हैं जबकि कुछ श्रवणयंत्र लगाने के पश्चात एक निश्चित स्तर पर ध्वनियाँ सुन सकते हैं। सुनने में अक्षम होने के कारण व्यक्ति काा शैक्षणिक और सामाजिक जीवन पर गंभीर रूप से प्रभाव पड़ता है। श्रवण अक्षम लोग भी ज्यादातर मामले में बोलने में अक्षम होते हैं क्योंकि जब तक व्यक्ति/बालक किसी भाषा को सुनेगा नहीं तब तक उसके मस्तिष्क में भाषा इनकोडिंग एकाधित नहीं होगा जिसके कारण उसमें भाषा का ज्ञान न होने के कारण वह शब्द उच्चारण करने में असमर्थ होगा चाहे उनके अन्दर वाणी दोष न हो। इसको एक उदाहरण से समझा जा सकता है कि हम तब तक उस भाषा का प्रयोग/बोल नहीं सकते जब तक उसको पहले से सुना न हो जैसे हिन्दी भाषी, मलयालम भाषा नहीं बोल सकते क्योंकि वह हमारे मस्तिष्क में भाषा के रूप में एकत्रित नहीं है। इसी प्रकार श्रवण बाधित बालक क्योंकि सुन नहीं सकता, उसमें भाषा का विकास नहीं हो पाता अतः वह वाणी होते हुए भी शब्द एवं वाक्य नहीं बना पाता और उचित तरह के बात नहीं कर सकता है। परन्तु श्रवण बाधित दूसरों से संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं सांकेतिक भाषा में संवाद करने के लिए हाथों, भुजाओं और चेहरे के भावों का प्रयोग किया जाता है। यह श्रवण बाधित बालकों के किए

संचार का एक अत्यधिक विकसित रूप हैं और यह स्थानीय भाषा के अनुरूप जगह–जगह परिवर्तित होता रहता है। इसी प्रकार लिप रीडिंग का भी प्रयोग करके ऐसे बच्चों के साथ सम्प्रेषण किया जाता है।

ऐसे बालक जो सुनने, बोलने, पढ़ने–लिखने आदि योग्यताओं को सीखने एवं उनका दैनिक जीवन में प्रयोग लाने में अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है उनके लिए शिक्षा को ग्रहण करने में कठिनाई बन जाती है क्योंकि अभिभावकों और शिक्षकों को बालक की अधिगम अक्षमता ना पता नहीं चलता। अभिभावक शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण होते हैं। शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण के रूप में बच्चों को सामान्य शिक्षा हेतु उचित पर्यावरण का निर्माण करना अभिभावकों का उत्तरदायित्व है। बच्चा जिस परिवेश में जन्म लेता है व जिस परिवार या समाज में उसका पालन–पोषण होता है वह उसी परिवेश की भाषा, रहन–सहन और व्यवहार प्रतिमानों को सीखता है। अभिभावक उसके शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं चारित्रिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार के विकास में सहयोग प्रदान करता है। अभिभावक द्वारा जब सम्पूर्ण उत्तरदायित्व का निर्वहन होता है तथा बालक का सर्वांगीण विकास होता है। श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा में अभिभावकों अभिवृत्ति का विशेष प्रभाव पड़ता है। अभिवृत्ति से तात्पर्य उनके अनुकूल या प्रतिकूल मनोभावों को प्रदर्शित करता है। यदि घर, परिवार में श्रवण बाधित बालक के अभिभावकों, माता–पिता का बच्चों के प्रति उनकी मनोभावना अनुकूल होगी तो बच्चों के शैक्षिक निष्पादन पर प्रभाव धनात्मक प्रभाव पड़ेगा और यदि प्रतिकूल भावना रही तो शैक्षिक निष्पादन पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार माता–पिता, अभिभावकों का एच.आई. बच्चों के प्रति सम्बन्ध अच्छा रहेगा तो श्रवण बाधित बच्चों के शैक्षिक निष्पादन पर उसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा अन्यथा प्रभाव खराब भी पड़ सकता है। कोई भी बच्चा अपने परिवार, अभिभावक से पूरी तरह से जुड़ा रहता हैं परन्तु जब श्रवण बाधित बालक के प्रति उनके माता–पिता का आचार–विचार, व्यवहार, अच्छा नहीं है तो वह बालक के सम्पूर्ण विकास को प्रभावित करता है। बालक अपने ही अर्न्तद्वन्द में फंसा रहता है। तथा वह अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित नहीं हो पाता इसलिए छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक का सम्बन्ध अच्छा एवं सौहाद्रपूर्ण होना चाहिए।

उपसंहार

इसी प्रकार सहयोगिता से अर्थ – परिवार का उत्तम वातावरण, बालकों के प्रति उचित व्यवहार, बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति, बालकों का निर्देशन, निरीक्षण, बालकों की अध्ययन व्यवस्था, उनकी दैनिक व्यय की पूर्ति से है जिससे बालकों में आत्म निर्भरता का विकास किया जा सके। इस शोध के सहयोगिता का अर्थ सुव्यवस्था वं अच्छे ढंग से परिस्थितियों को अनुकूल बनाने की प्रक्रिया से है जिससे श्रवण बाधित बच्चों की आवश्यकताएँ पूरी हो और उनमें मानसिक द्वन्द न उत्पन्न होने पाये।

एच.आई बच्चों के अभिभावकों का बच्चों के साथ सम्बन्ध एवं उनका सहयोग प्रभाव बालकों के शैक्षिक मूल्यांकन पर पड़ता है। यदि अभिभावकों का मनोभावना, सम्बन्ध एवं सहयोग श्रवण बाधित बच्चों के बीच अच्छा रहेगा तो बच्चे उत्साहित, खुश रहेंगे उनके भाषा, वाणी, व्यवहार, आत्मविश्वास, मनोवैज्ञानिक व्यवहार, शिक्षा आदि पर प्रभाव पड़ेगा जिसके कारण उनकी शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ेगा। बच्चा विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करेगा साथ ही घर में भी उसे अच्छा पृष्ठ पोषण मिलेगा तो उसके शैक्षिक निष्पादन अर्थात् शैक्षिक मूल्यांकन पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इस शोध में शोधार्थी ने उत्तर प्रदेश के तीन मण्डल के प्रत्येक मण्डल से एक जनपद में पढ़ने वाले 'सर्व शिक्षा अभियान' के अन्तर्गत प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 8 तक) के 6–14 वर्ष तक के बच्चों पर छात्र एवं छात्राओं की शिक्षा पर शोध किया है। शोधार्थिनी ने कक्षा 1 से 8 तक के बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूल के श्रवण बाधित छात्र एवं छात्राओं के शैक्षिक निष्पादन पर प्रभाव देखने के लिए सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया है तथा प्रश्नावली के द्वारा उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति, उनका सम्बन्ध एवं सहयोग का शैक्षिक निष्पादन पर प्रभाव के बारे में आँकड़ों को एकत्रित करके विवेचना करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला है कि अभिभावकों की अभिवृत्ति, सम्बन्ध एवं सहयोगिता का श्रवण बाधित विद्यार्थियों शैक्षिक निष्पादन पर प्रभाव पड़ता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. के0 ऐलीब सेलन (1992), द एक्सेप्शनल चाइल्ड : मेनस्ट्रीमिंग इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, सेकेन्ड एडिशन, डल्मर पब्लिशर्स इंक, न्यूयार्क।
2. चौरसिया बी0डी0 (2003), ह्यूमन एनॉलमी–रीजनल एण्ड एप्लाईड–हेड, नेक एण्ड ब्रेन, थर्ड एडिशन, वाल्यूम–3, सीबीएस पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली।
3. सिंह अरूण कुमार (2001), उच्चतर सामान्य मनोविज्ञान, मोती लाल बनारसी दास, दिल्ली।
4. सिंह अरूण कमार (2001), उच्चतर नैदतिक मनोविज्ञान, नरेन्द्र प्रकाश जैन प्रकाशव, मोतीलाल बनारसी दास बंगलो रोड, दिल्ली।
5. शिक्षा मनोविज्ञान की रूपरेखा, डा0 मालती सारस्वत।
6. मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ।
7. उच्चतर शिक्षा में मनोविज्ञान, डा0 एस0पी0 गुप्ता एवं डा0 अल्का गुप्ता।